संक्षिप्त

महिलाओं को जागरूक किया

निवाई। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मैरिंगटन सोनी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना को लेकर डाक बंगले में कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधिक काउंसलर नीतूसिंह विजय ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं को उनके स्किल सेट के अनुसार घर बैठे काम मुहैया करवाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। गृहणियां, कॉलेज छात्राएं या ऐसी महिलाएं जो घर से दूर जाकर अपनी आय अर्जित करने में असमर्थ हैं। उनके लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस योजना में आवेदन सकते हैं। छोटे कुटीर उद्योगों सहित सिलाई, कढ़ाई, आचार बनाना से लेकर हाई-टेक कम्प्यूटिंग, टाइपिंग व कंटेंट राइटिंग जैसे उद्यम भी इस पोर्टल के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। कार्यशाला में काली बाई भील शिक्षा सेतु योजना, निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र एवं सखी वन स्टॉप सेंटर सहित महिला अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई।

फागोत्सव रविवार को

जयपुर। नाटाणी परिवार का भ्योम्याजी के फागोत्सव दिनांक रविवार को 561 नाटाणी भवन मनिहारों का रास्ता त्रिपोलिया बाजार जयपुर में सायं 7 बजे से देर रात्रि तक फागोत्सव का आयोजन किया जायेगा। विकास नाटाणी गोविन्द नाटाणी त्रिलोक नाटाणी अभिताभ नाटाणी एवं राजेश नाटाणी ने बताया कि नाटाणी परिवार के 250 वर्ष पुराने भ्योम्याजी महाराज के फागोत्सव में फाल्गुन की फुव्वार के साथ रंग बिरंगे फुलो के साथ रंग बिरंगी गुलाल के साथ फागोत्सव का आयोजन किया जायेगा। फागोत्सव में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जायेगी। फागोत्सव में महाआरती का आयोजन करने के साथ ही जल सरंक्षण का संदेश देते हुये प्रसादी का भी आयोजन रखा जायेगा। कार्यक्रम में खण्डेलवाल वैश्य समाज के जन प्रतिनिधियों सहित क्षेत्रीय विधायक सहित गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगें।

सीएम को लिखा पत्र

टोंक। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष जसवंत सिह नरूका ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि माह फरवरी का वेतन होली पूर्व भुगतान किया जाए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघके जिला महामंत्री चौथमल चन्देल ने बताया कि 28 फरवरी को शनिवार 1 मार्च को रविवार 2 व 3 मार्च का हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली है। अतः राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को फरवरी का वेतन 27 फरवरी को करना चाहिए। जिससे सभी होली का त्योहार हर्ष उल्लास से मना सके।

निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

निवाई। राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 40 विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो प्रभारी देवेंद्रकुमार गुप्ता ने छात्रों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अंजू चौधरी व आशीष यादव प्रथम स्थान, इशिता राजोरा व अंकित चौधरी द्वितीय स्थान एवं पायल यादव व मोहित प्रजापत तृतीय स्थान पर रहे। प्रधानाचार्य संदीप राय ने छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार वितरित किया।

पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

टोंक। ईद और होली के आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में शहर के कोतवाली और पुरानी टोंक थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली के थाना अधिकारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन पर आगामी ईद और होली को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने के उद्देश्य से यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल हुए। यह मार्च घंटाघर से शुरू होकर सुभाष बाजार, काफला बाजार, नौशे मियां का पुल, बड़ा कुआं, तख्ता बाजार होते हुए पुरानी टोंक थाना क्षेत्र तक निकाला गया।

खाद्य सुरक्षा टीम ने 180 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट करवाया

- होली से पहले मिलावटियों पर शिकंजा, खाद्य सुरक्षा टीम ने सिंथेटिक पनीर से भरी गाड़ी को पकड़ा
- मेवात क्षेत्र से तैयार कर सिंथेटिक पनीर को गाड़ी में भरकर किशनगढ़ बास और खैरथल में बिकने के लिए लाया जाता था। 170 प्रति किलो की दर से बेचा जाता था पनीर

किशनगढ़ बास। खैरथल और किशनगढ़ बास में मेवात से बनकर बिकने के लिए गाड़ी में भरकर आ रहा सिंथेटिक पनीर को खाद्य-सुरक्षा टीम ने किशनगढ़ बास सर्किल पर नाकाबंदी कर सिंथेटिक पनीर से भरी सफेद रंग की ईको गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी में प्लास्टिक के डब्बे में रखें 180 किलो सिंथेटिक पनीर को मौके पर ही गंदे पानी के नाले में नष्ट किए जाने की कार्रवाई की।

खाद्य-सुरक्षा टीम अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अरविंद गेट के नेतृत्व में होली पर्व को देखते हुए 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक जिले में विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है।

किशनगढ़ बास में सिंथेटिक पनीर को नाले में नष्ट कराते खाद्य-सुरक्षा टीम के अधिकारी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अरविंद गेट के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत बुधवार को टीम ने मेवात क्षेत्र से तैयार कर खैरथल और किशनगढ़ बास में की जा रही सप्लाई की सूचना पर टीम ने किशनगढ़ बास सर्किल पर नाकाबंदी दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 180 किलो मिलावटी एवं सिंथेटिक पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाया।

सूचना के आधार पर टीम ने सुबह करीब 6:00 बजे किशनगढ़ सर्किल पर नाकाबंदी कर मेवात की ओर से आ रही सफेद रंग की ईको कार (नंबर 02 2804) सदैह होने पर रुकवाकर वाहन की जांच की गई तो उसमें रखी पांच पेटियों में करीब 180 किलो सिंथेटिक पनीर मिला। मौके पर मौजूद मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से पनीर की जांच की गई, जिसमें पनीर मिलावटी और सिंथेटिक पाया गया।

वाहन चालक ने पूछताछ में बताया कि यह पनीर किशनगढ़ एवं खैरथल कस्बे में 170 रूपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। विभाग द्वारा पनीर के नमूने लेकर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला भेजे गए हैं तथा करीब 180 किलो सिंथेटिक, मिलावटी एवं बदबूदार मिले पनीर को मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के सदस्य महिपाल सिंह एवं सुभाष यादव उपस्थित रहे। विभाग द्वारा होली पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

स्काउट दल रवाना

कोटपूतली। कस्बे के अमरपुरा नई कोठी रोड़ स्थित सजना पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल से 06 सदस्यीय स्काउट सेवा दल श्री खाटू श्याम मेले के लिये रवाना हुआ। खाटू धाम में श्री श्याम बाबा के लक्खी मेले में स्काउट दल विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुये सेवा कार्य करेंगे। स्थानीय संघ रोवर स्काउट लीडर मुकेश चंद सैनी ने जानकारी देते हुये बताया कि यह दल मेले में खोया पाया विभाग, प्राथमिक सहायता, जल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आदि सेवायें प्रदान करेंगे। इस मौके पर बाला रावत, संदीप कुमार जांगिड़, स्काउट संघ एडीसी हंसराज यादव एवं सचिव रामवीर यादव ने स्काउट दल को शुभकामनायें देकर मेले में श्रेष्ठ सेवायें देने के लिये प्रेरित करते हुये रवाना किया। सीबीईओ पूरण चंद कसाना, सहायक सचिव कमलेश कुम्हार, दुर्गाप्रसाद कुमावत, अतुल कुमार आर्य, हंसराज रावत, अंकिता सैनी आदि ने स्काउट दल के सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सर्किल पर शिव के परम प्रतीक की भव्य आकृति स्थापित करने की मांग

दौसा। सोमनाथ सर्किल बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार को जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौपाकर ऐतिहासिक सोमनाथ सर्किल के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुये सर्किल पर भगवान शिव के परम प्रतीक ॐ (ऊं) की भव्य आकृति स्थापित किये जाने की मांग की है।

सोमनाथ सर्किल बचाओ संघर्ष समिति के रितेश पारीक ने बताया कि देवनगरी की पहचान और आराध्य सोमनाथ महादेव को समर्पित सोमनाथ सर्किल के साथ न केवल नाम की छेड़छाड़ की गई, बल्कि इसके भौतिक स्वरूप को भी क्षित पहुँचाई गई है। पूर्व में यहाँ शासन द्वारा जनहित में एक भव्य फाउंटेन (फव्वारा) लगाया गया था, जिसे हाल ही में किन्हीं अज्ञात तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। जनता के बीच यह गहरा रोष है कि आखिर किसके

सर्किल पर ओम की आकृति लगाने की मांग, डीएम देवेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौंपा।

आदेश पर इस सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया और उखाड़ा गया वह कीमती सामान वर्तमान में कहाँ और किसके पास है? उन्होने मांग करते हुये कहा कि इस सरकारी संपत्ति के गबन की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और सोमनाथ सर्किल पर पुनः नया व आधुनिक फाउंटेन स्थापित कर इसे पूर्ववत स्वरूप प्रदान किया जाए।

उन्होने कहा कि इसके साथ ही, भविष्य में किसी भी निजी एनजीओ या रोटरी क्लब जैसी संस्थाओं द्वारा इस पावन स्थल के नाम और स्वरूप में घुसपैठ को स्थायी रूप से रोकने हेतु हमारी यह दृढ़ मांग है कि सर्किल पर भगवान शिव के परम प्रतीक ॐ (ऊं) की एक भव्य आकृति स्थापित की जाए। यह प्रतीक न केवल हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती देगा, बल्कि किसी भी प्रकार के अनाधिकृत नाम परिवर्तन के प्रयासों पर भी पूर्ण विराम लगाएगा। इस अवसर पर हरि सिंह गुर्जर, गीता देवी, तारा देवी,, भीमसिंह राजपूत, अजित सिंह मीना, विनोद बोहरा, गिर्राज विजयवर्गीय, योगेश तिवाड़ी, सत्यप्रकाश मीना, राहुल गुर्जर, सतीश मोदी, राम जांगिड़, आशीष, रवि जोशी, सत्या बैरवा, छगन शर्मा, सीताराम शर्मा, श्रीकांत, गोलू चौबे, दिलीप शर्मा, रवि विजयवर्गीय, शुभम तिवाड़ी, श्रीयांश, विकास, राहुल काका, संजू पंजाबी, मनोज मीना सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

नहर के माइनर की ऊंचाई बढ़ाने की मांग

रुदावल भरतपुर (निस)। बारैठा बांध की से निकलने वाली नहर के माइनर की ऊंचाई कम होने के कारण खेड़ाठाकुर माइनर से जुड़े कास्तकारों ने प्रदर्शन कर ऊंचाई बढ़ाने एवं कुलाबों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेड़ाठाकुर माइनर की लम्बाई करीब साढ़े तीन किमी है। माइनर की ऊंचाई महज डेढ़ फीट है जिसके कारण अंतिम

- पूर्व में नहर कच्ची थी जिसकी चौड़ाई काफी थी जिससे पानी की समस्या कम रहती थी

छोर तक पानी नहीं पहुंच सकेगा, अगर पानी ज्यादा मात्रा मे छोड़ा गया तो पानी ओवरफ्लो होकर खेतों की फसलों को जलमग्न कर देगा।

कम छोड़ा गया तो खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाएगी। किसानों का कहना था कि पूर्व में नहर कच्ची थी जिसकी चौड़ाई काफी थी जिससे पानी की समस्या कम रहती थी। अब नहर के माइनर को पक्का किया जा रहा है, जिसमें माइनर की ऊंचाई बहुत कम है।

नहर के माइनर की ऊंचाई बढ़ाने की मांग पर अधिकारियों ने मौका मुआयना किया।

जिसके कारण किसानो को फसल की सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। प्रदर्शन की सूचना पर सिंचाई विभाग के जेईएन रूपचंद निर्माणाधीन माइनर पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे किसानों से वार्ता की गई। किसानों ने सिंचाई विभाग के जेईएन को अपनी समस्या से अवगत कराया और ऊंचाई बढ़ाने की मांग की गई। जिस पर जेईएन ने बताया कि कार्य एस्टीमेट के अनुसार किया जा रहा है, जिस कार्य के लिए स्वीकृति मिली है उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है।

किसानों की ओर से काफी अनुरोध किए जाने एवं विरोध के बाद जेईएन की ओर से उच्चाधिकारियों से वार्ता कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। जिसके बाद उच्चाधिकारियों की ओर से निर्माणाधीन माइनर की ऊंचाई को दो ईंट (6 इंच) की ऊंचाई और बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। इस मौके पर मुकेश शुक्ला, लच्छो शर्मा, दिनेश पचौरी, जगत सिंह, देवी पंडित, अभय शर्मा, दिनेश परमार सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। ग्रामीणों ने नहर की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है, किसानो से वार्ता की गई एवं किसानो की मांग से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है, उच्चाधिकारियों ने कार्य में दो ईंट की हाइट बढ़ाई जाकर कार्य कराने पर सहमति दी है।

बीएसएफ हेड कांस्टेबल की गुमशुदगी से सनसनी

- गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न होने पर उठे सवाल

पावटा । पत्नी से विवाद के बाद बीएसएफ में हेड कॉस्टेबल जयप्रकाश शर्मा के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी को लेकर झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही, जिससे परिवार में गहरा आक्रोश और चिंता व्याप्त है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल शर्मा के भाई प्रमोद शर्मा निवासी प्रागपुरा ने बताया कि प्रागपुरा कस्बे निवासी जयप्रकाश शर्मा, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर जैसलमेर में कार्यरत हैं। ज्यों 7 फरवरी 26 से 17 फ़रवरी तक के लिए छुट्टियों में जयपुर झोटवाडा अपने घर आया था। आने के दूसरे दिन ही पत्नी से घर पर पारिवारिक विवाद होने पर घर से निकला हुआ है जिसका आज तक को पता नहीं चला है। इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों में तलाश की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जब झोटवाडा थाने से प्रागपुरा में भाई प्रमोद शर्मा को भाई के लापता होने का समाचार मिला तो उसने झोटवाड़ा थाने में पहुंचकर इस बाबत रिपोर्ट देनी चाही तो झोटवाड़ा थाने में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत सूरजाराम चौधरी द्वारा उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया व उनके भाई को भगोडा बताया व थाने से बाहर निकाल दिया। थाने में सिफारिशों के माध्यम से भाई के लापता होने की शिकायत दी। प्रमोद का कहना है कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों से भी इस मामले में मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक न तो पुलिस ने विधिवत गुमशुदगी दर्ज की है और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। पीड़ित के भाई प्रमोद शर्मा ने ने बताया कि अब तक कोई ठोस सहायता या कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि हमारा परिवार गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है और किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि हमारे सुरक्षा बल के एक जवान से जुड़ा संवेदनशील विषय है। परिवार का कहना है कि एक ओर जहां उनका बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर उसके लापता होने पर स्थानीय प्रशासन की उदासीनता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और जल्द से जल्द गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर व्यापक स्तर पर तलाश शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

किशनगढ़बास जेल में बंदियों को कानूनी जानकारी दी

किशनगढ़ बास । जेल लीगल एड एंड क्लिनिक के सुचारू प्रबंधन एवं जेल विजिट कार्य के तहत बुधवार को उपकारा गृह किशनगढ़ बास में पीएलवी सूरजभान कछवाहा व पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विचाराधीन बंदियों को विधिक

- नव चयनित पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ने की साथ में विजिट

जानकारी दी।

पीएलवी सूरजभान ने बताया कि विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल तिजारा (जिला सेशन न्यायाधीश) शैलेंद्र व्यास के आदेशानुसार एवं सचिव रणवीर सिंह के निर्देशानुसार किशनगढ़ बास जेल

उपकारा गृह किशनगढ़ बास मेंविधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विचाराधीन बंदियों को विधिक जानकारी दी।

पर किया गया। शिविर के दौरान विचाराधीन बंदियों को जानकारी में बताया गया कि कानून के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में चालान सम्बंधित अदालत में 90 दिनों के अंदर दायर करना जरूरी होता है। यदि तय समय सीमा में पुलिस अपराधी का चालान नहीं पेश करती, तो इसका सीधा फायदा आरोपी को जमानत मिलने के रूप में मिल सकता है। जमानतीय अपराध के मामले में पुलिस को जमानत देने का अधिकार है, लेकिन अदालत में चालान दायर होने के बाद, आरोपी व्यक्ति को अदालत से नियमित जमानत पाने के लिए निर्धारित जमानत बॉन्ड भरना पड़ता है। पुलिस किसी भी कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक समय तक नहीं रख सकती है। इस अवसर पर उपकाराग्रृह के जेलर रविंद्र कुमार उपाध्याय सहित जेल स्टाफ वे 134 विचाराधीन बंदी मौजूद रहे।

शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल तिजारा द्वारा नव चयनित पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियों पर निर्देशित कार्यों/ कार्यक्रमों के संपादन/ निष्पादन हेतु प्रारम्भिक ओरिएंटेशन व इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नव चयनित पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को उपकारगृह किशनगढ़ बास का विजिट कराया गया तथा जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में बताया।

इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रामनिवास, सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल एडवोकेट अर्पित शर्मा, सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल एडवोकेट चंद्रवीर, पीएलवी सूरजभान कछवाहा सहित 21 नव चयनित पैरा लीगल वॉलिंटियर्स मौजूद रहे।

फांसी के फंदे से झूलकर युवक ने की आत्महत्या

फुलेरा। कस्बे के समीपवर्ती ग्राम काचरोदा में बीती रात एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। फुलेरा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल कुमावत (32) निवासी तेजाजी चौक काचरोदा, मंगलवार रात अपने घर की दूसरी मंजिल पर छत में लगे पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर झूल गया। मृतक अपने घर पर ही किराने की दुकान संचालित कर परिवार का पालन-पोषण करता था। परिजनों के अनुसार राहुल पिछले कुछ दिनों से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था और उसका उपचार भी चल रहा था। सुबह जब वह काफी देर तक नीचे नहीं आया तो परिजन छत पर पहुंचे, जहां वह फंदे पर लटका मिला। परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया तथा बाद में अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया।पुलिस मामले की जांच कर आत्महत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट "धुन लाइफ" जो कि गाँव अमरपुरा, चकगुलाबपुरा, रायथल, जानकीनाथपुरा, गोहंदी और जाबड़, तहसील-माधोराजपुरा, जिला-जयपुर, राजस्थान में स्थित धुन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित है। इस पर निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान द्वारा प्रस्ताव संख्या RJ/24/SEACI/INFRA2/EC/0022 दिनांक 09/01/2026 को प्रदान कर दी गई है एवं वेबसाइट https://parivesh.nic.in पर भी उपलब्ध है।
दिनांक: 18.02.2026 निदेशक
धुन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, CIN:U68100RJ2017PTC058696, पंजीकृत कार्यालय-C-10/1, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर-302021, राजस्थान

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **भूखंड संख्या B-25, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर** का **JDA का मूल पट्टा** गुम हो गया है। उक्त संपत्ति के स्वामी **श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा** हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त दस्तावेज प्राप्त हो तो 7 दिवस के भीतर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा डुप्लिकेट पट्टा हेतु कार्यवाही की जाएगी। **संपर्क - मनीष कुमार शर्मा मो. 9460643001**
भवदीय
(शंकर शर्मा) एडवोकेट
मो. 8107888197
जयपुर, दिनांक : 24.02.2026

रंगटा हॉस्पिटल
पुलिस स्टेशन के पास, कालगिरि रोड, मालवीय नगर, जयपुर
सार्वजनिक सूचना
दिनांक **01 जनवरी 2019 से 30 जून 2022 तक के नियमित इनडोर मरीजों के अभिलेख (एमएलसी व मृत्यु प्रकरण छोड़कर) नियम अनुसार नष्ट किए जाएंगे। यदि कोई मरीज/परिजन भविष्य हेतु रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहते हैं,** तो प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के भीतर मेडिकल रिकॉर्ड विभाग से संपर्क करें या ईमेल करें: **mrd@rungtahospital.com** निर्धारित अवधि के बाद अभिलेख स्थायी रूप से नष्ट कर दिए जाएंगे। **आदेशानुसार**
मेडिकल अधीक्षक, रुंगटा हॉस्पिटल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम
प्रताप नगर, जयपुर दिनांक: 06.02.2026
क्रमांक:- 10206 **जाहिर आम-सूचना**
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 161/74 (EWS), (एरिया 44.10 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन **श्री केलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री राय कुमार शर्मा** को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2391 दिनांक 19.12.2002 को जारी किया गया। **श्री हरीश कुमार पुत्र श्री किशन चन्द एवं श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री हरीश कुमार** के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 9879/2227 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा किया गया। **श्री हरीश कुमार एवं श्री कमलेश कुमार** के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.01.2024 को उप पंजीयक-अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। **श्री हरीश कुमार एवं श्री कमलेश कुमार द्वारा श्री नितिन गर्ग पुत्र श्री शिवदयाल गर्ग को** दिनांक 02.02.2024 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। **श्री नितिन गर्ग** द्वारा उक्त आवास को दिनांक **26.02.2024** के द्वारा **श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री नेमी चन्द गुप्ता** को विक्रय कर उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। **श्रीमती पुष्पा देवी** द्वारा उक्त आवास को दिनांक **08.12.2025** के द्वारा **श्रीमती सोनिया गुप्ता पत्नी श्री अंकेश कुमार गर्ग** को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-सप्तम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती **श्रीमती सोनिया गुप्ता पत्नी श्री अंकेश कुमार गर्ग** द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, **श्रीमती सोनिया गुप्ता पत्नी श्री अंकेश कुमार गर्ग** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक वृत्त- प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम
प्रताप नगर, जयपुर दिनांक: 06.02.2026
क्रमांक:- 10202 **जाहिर आम-सूचना**
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 161/82 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन **श्री मोहन पंजवानी पुत्र श्री टीकमदास पंजवानी** को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 30.06.2006 को जारी किया गया।
श्री चन्द पुत्र स्व. श्री वरियल दास के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 9829/2831 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा किया गया। श्री चन्द के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 29.03.2024 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये।
श्री चन्द द्वारा उक्त आवास को दिनांक **22.04.2024** के द्वारा श्री शिव दयाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री राम किशोर गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया।
श्री शिव दयाल गुप्ता द्वारा उक्त आवास को दिनांक **25.09.2025** के द्वारा श्रीमती विमला गर्ग पत्नी श्री प्रमोद कुमार गर्ग को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-सप्तम के यहाँ विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती विमला गर्ग पत्नी श्री प्रमोद कुमार गर्ग द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त आवास के हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, **श्रीमती विमला गर्ग पत्नी श्री प्रमोद कुमार गर्ग** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक वृत्त- प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर:DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1572
चूंकि प्रार्थी श्री Dilip Thawani, 1/731, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री स्वामी टेऊँराम सत्संग भवन चैरिटेबल ट्रस्ट, Satguru Teuram Gaushala, Khasra No. 97/1, Vande Mataram Marg, Gangayawas, Narayan Vihar, Jaipur, Rajasthan, 302020 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.04.2026
मोहर
रतन लाल (सहायक आयुक्त)
देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-1/TRUST/2026/1584
चूंकि प्रार्थी श्री Poonam Chand Vishnoi, 16, Kastoorba Nagar, Near Nirman Nagar Jaipur, Shyam Nagar Rajasthan - 302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुलिस साइंस एंड मैनेजमेंट, Rajasthan Police Academy, Nehru Nagar, Jaipur, Rajasthan के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन